International Journal of Home Science 2020; 6(3): 276-277

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2020; 6(3): 276-277
© 2020 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 21-07-2020
Accepted: 25-08-2020

भारती नयन
विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग,
गाँधी श्रमिक महाविद्यालय,
माण्डू, हाजारीबाग, झारखंड, भारत।

Corresponding Author:
भारती नयन
विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग,
गाँधी श्रमिक महाविद्यालय,
माण्डू, हाजारीबाग, झारखंड, भारत।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण में अधिनियम– 2012 की भूमिका, हजारीबाग जिले के संदर्भ में

भारती नयन

DOI: https://doi.org/10.22271/23957476.2020.v6.i3e.1046

सारांश
संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम को, जो बालको के सर्वोतम हित की सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किये जाने वाले मानको को विहित करता है, भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को अंगीकृत किया है। बालकों के उचित विकास के लिए यह आवष्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के मध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाये । लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अष्लिल साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विषेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। संविधान के अनुच्छेद–15 का खण्ड (3), अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विषेष उपबंध करने के लिए सषक्त करता है।

कूट शब्द– बालकों, सुरक्षित, लैंगिक, अपराध, न्यायिक

प्रस्तावना
लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अष्लिल साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विषेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। संविधान के अनुच्छेद–15 का खण्ड (3), अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विषेष उपबंध करने के लिए सषक्त करता है।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम को, जो बालको के सर्वोतम हित की सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किये जाने वाले मानको को विहित करता है, भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को अंगीकृत किया है। बालकों के उचित विकास के लिए यह आवष्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के मध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाये । यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति में प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिष्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरी महात्व के रूप में ध्यान दिया जाए। बालकों के अधिकारों से सम्बन्धित अभिसमय के राज्य पक्षाकारों से निम्नलिखित का विवरण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है–

(क) किसी विधि विरूद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्पीड़न करना ।
(ख) वेष्यावृत्ति या अन्य विधि विरूद्ध लैंगिक व्यावसाय में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना ।
(ग) अष्लिल गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक उपयोग करना ।

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरूपायोग जधन्य अपराध है और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवष्यकता है। भारत गणराज्य के (63) तिरसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है।

भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक –10 जून 2012 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र भाग –2, खण्ड –1 में दिनांक 20.06.2012 पृष्ठ 1–14 पर प्रकाषित किया गया है।

झारखण्ड़ राज्य का हजारीबाग जिला एक पुराना जिला है। इस जिले में विकास को गति प्रदान करने के लिए कई प्रखण्ड़ बनाये गए है। प्रत्येक प्रखण्ड़ में विकास का कार्य करने हेतू एक विकास पदाधिकार (प्रखण्ड़ स्तर) पर किया गया है। दूसरे तरफ कर की वसूली हेतू एक सी.ओं. का पद होता है। प्रखण्ड़ विकास पदाधिकारी के द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान किया जाता है। उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सडक निर्माण, कुआँ निर्माण, जल निकासी हेतू नाली का निर्माण किया जाता है। स्कूल भवन का निर्माण किया जाता है। षिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतू कार्य किया जाता है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकासात्यव रणनीति बनायी जाती है वन रौपन, कृषि विकास, पषु–पालन के लिए हर सम्भव कोषिष की जाती है।

प्रायः हजारीबाग जिले में बालश्रम सस्ता एवं सुलभता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। बालको से अधिक समय तक कार्य कराया जाता है। उन्हें कम मजदूरी देंकर उनका दैहिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ बच्चों का शोषण न होता है। समाज कल्याण निदेषालय, झारखण्ड़ सरकार के द्वारा बच्चों के लैंगिक शोषण पर एक अध्ययन कराई गयी थी । उस लैंगिक शोषण के अन्तर्गत हजारीबाग जिले की निम्नवत स्थिति थी :–

शोषण के प्रकार		2017 में विभिन्न थानों में अपराधों की संख्या
अप्राकृतिक यौनाचार	–	201
बाल विवाह	–	157
बाल श्रम	–	305
बन्धुआ मजदूरी	–	01

श्रोतः यूनिसेफ लघु दिषानिर्देषिका –2005

उपर्युक्त समंकों से स्पष्ट होता है कि हजारीबाग जिले में बच्चों के साथ प्राकृतिक योनाचार अधिक मात्रा में होता है। बाल विवाह के संबंध में अधिकांष मामले थाना तक नही पहुँच पाती है। लेकिन 157 का समंक यह दर्षाता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ बाल विवाह प्रथा भी विद्यमान है। बाल श्रम के दृष्टि से हजारीबाग जिले की स्थिति दैयनिय है। यहाँ बड़े पैमाने पर छोटे–छोटे व्यावसायों में बाल श्रम का उपयोग किया जाता है।

हजारीबाग जिले के होटलों, गैरेजों खतरनाक उद्योगों, पशु पालन, कृषि जगत् एवं घरेलु नौकर के रूप में बाल श्रम अध्किांषतः देखने को मिलता है।

बच्चों के शोषण को समाप्त करने हेतु जे. जे.एक्ट 2015 का निर्माण किया गया है। इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक जिले में कानून का उल्लघन करने वाले बच्चों की वाद को देखने / न्यायालय की स्थापना की गई है। इस न्यायालय में कानून का उल्लघन करने वाले बच्चों की वाद की सुनवाई की जाती है। जहाँ बच्चों को अधिक से अधिक तीन वर्षो की सजा का प्रावधान है।

दूसरे तरफ जिन बच्चों को देखभाल, सुरक्षा, विकास, षिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की आवष्यकता है, वैसे बच्चों को न्याय दिलाने हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्यों का चुनाव चयन समिति द्वारा किया जाता है। प्रथम श्रेणी का न्यायपीठ का अधिकार बाल कल्याण समिति को प्राप्त है।

हजारीबाग जिले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण में अधिनियम –2012 की भूमिका महात्वपूर्ण है। कोई भी व्याक्ति उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत न्याय पाने का अधिकार रखता है। हजारीबाग जिले के विभिन्न थानों में दर्ज वादों की संख्या विभिन्न वर्षो में विभिन्न प्रकार से है

हजारीबाग जिले में लैंगिक अपराधों की संख्या

वर्ष		अपराधों की संख्या
2013	–	11
2014	–	85
2015	–	101
2016	–	205
2017	–	307

स्त्रोतः एस. पी. कार्यालय, हजारीबाग मार्च, 2018

उपर्युक्त समंको का विष्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण में अधिनियम –2012 की भूमिका कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष लैंगिक अपराधों की समीक्षा होती है। लैंगिक समीक्षा मार्च –2018 में हुई थी। उस समिक्षा के अन्तर्गत अपराधों की संख्या में वृद्धि को दर्षाया गया है। लैंगिक अपराधों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि अधिकांषतः लैंगिक अपराधों की थाना में मामला दर्ज ही नही होती है। कुछ मामलों को दबा दिया जाता है। कुछ मामलों को प्रतिष्ठा के नाम पर समाज में जाने से रोका जाता हे।

हालांकि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान दिनांक –13.07.2018 को प्रकाषित एक लेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अधिकांष लैंगिक अपराध परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है या निकटतम सम्बन्धियों द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में लैंगिक अपराधों को किसी थाने में मामला दर्ज नहीं किया जाता है। झूठी आण–बाण के नाम पर आपराध को गृह स्तर पर ही दबा दिया जाता है।

स्वयं हजारीबाग के पूर्व एस.पी. श्रीमति शोभा अहोत्कर ने कही थी बच्चों के साथ यौनिक अपराध एक अक्षम्य अपराध है, इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए अन्यथा आनेवाली पीढि वर्त्तमान पीढि को कभी नहीं माफ करगी। प्रभात खबर, रॉची संसकरण 02.08. 2005

अतः सम्पूर्ण तथ्यों का वृहद समीक्षा करने के पष्चात् स्पष्ट होता है कि हजारीबाग जिले में लैंगिक अपराध को रोकने में पुलिस अक्षम सिद्ध हो रहे है। लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण प्रदान करने में अधिनियम –2012 का उपयोग प्रासंगिक रूप में पुलिस के द्वारा नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष लैंगिक अपराधों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सुचि

1. अधिनियम– 2012
2. संविधान के अनुच्छेद–15 का खण्ड (3)
3. भारत का राजपत्र भाग –2, खण्ड –1 में दिनांक 20.06.2012 पृष्ठ 1–14
4. यूनिसेफ लघु दिषानिर्देषिका –2005
5. रिर्पोट एस. पी. कार्यालय, हजारीबाग मार्च, 2018
6. हजारीबाग गजट, 2005ए च.1.13